## ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

### भाग-1

**1. (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती संगीता देवी | 23.01.2021 से लगातार |

**सचिव:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती संतोष कुमारी | 01.10.2019 से 31.05.2023 |
| 2 | श्री इस्लाम | 01.06.2023 से लगातार |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1) | 4.3 | रोकड़बही व बैंक अंतशेष में भारी अंतर। | 3.54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2) | 6.3 | अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष। | 15.16 |
| 3) | 8.1 | विभिन्न अनियमित भुगतान करना। | 0.96 |
| 4) | 6.1, 6.2, 9.1 व 9.2 | विभिन्न अभिलेख प्रस्तुत न करना । | 87.67 |

**भाग-2**

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2025 से 13.03.2025 तक ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर में किया गया। ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान ग्यारह रोकड़ बहियों अर्थात स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग, बी0आर0जी0एफ0, सी0आर0एफ0, आई0डब्लू0डी0पी0, एन0आर0एच0एम0, एस0बी0एम0, 13वां वित्तायोग, आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0, वी0के0वी0एन0वाई0 व मनरेगा (ऑनलाइन) का रख-रखाव किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2022-23 | 08/2022 | 03/2023 |
| 2023-24 | 03/2024 | 06/2023 |

**अस्वीकरण :-** इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹7000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को अंकेक्षण शुल्क जमा करने का आश्वासन दिया है।

**4 वित्तीय स्थिति:-**

**4.1** सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-78 दिनांक 05.12.24 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है।

**वित्तीय स्थिति**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **योजना** | **वर्ष** | **प्रारम्भिक शेष (₹)** | **प्राप्तियां (₹)** | **कुल योग (₹)** | **भुगतान (₹)** | **अंतिम शेष (₹)** |
| स्व: स्त्रोत/ निधि | 2022-23 | 3264862.34 | 2273231.00 | 5538093.34 | 4363739.00 | 1174354.34 |
| | 2023-24 | 1174354.34 | 920813.00 | 2095167.34 | 905257.00 | 1189910.34 |
| अन्य अनुदान | 2022-23 | 325805 | 1275000 | 1600805 | 1275000 | 325805 |
| | 2023-24 | 325805 | 1233000 | 1558805 | 1233000 | 325805 |
| **कुल (स्व: स्त्रोत/ निधि व अन्य अनुदान)** | **2022-23** | **3590667.34** | **3548231.00** | **7138898.34** | **5638739.00** | **1500159.34** |
| | **2023-24** | **1500159.34** | **2153813.00** | **3653972.34** | **2138257.00** | **1515715.34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **योजना** | **वर्ष** | **प्रारम्भिक शेष (₹)** | **प्राप्तियां (₹)** | **कुल योग (₹)** | **भुगतान (₹)** | **अंतिम शेष (₹)** |
| 14वां वित्तायोग | 2022-23 | 1845062 | 421295.02 | 2266357.02 | 2191186 | 75171.02 |
| | 2023-24 | 75171.02 | 4132 | 79303.02 | 35864 | 43439.02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15वां वित्तायोग | 2022-23 | 1796991 | 1457866 | 3254857 | 542165 | 2712692 |
| | 2023-24 | 2712692 | 642050 | 3354742 | 1101715 | 2253027 |
| **कुल (14वां व 15वां वित्तायोग)** | **2022-23** | **3642053.00** | **1879161.02** | **5521214.02** | **2733351.00** | **2787863.02** |
| | **2023-24** | **2787863.02** | **646182.00** | **3434045.02** | **1137579.00** | **2296466.02** |
| नोट:- 14वां व 15वां वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से संबंधित अंकेक्षण आपतियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। | | | | | | |

## 4.2 बैंक समाधान विवरणी: -

दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष ₹ 1515715.34

दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों का बैंक अनुसार अन्त शेष ₹ 1162134.74

दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर (₹1515715.34 - ₹1162134.74) **परिशिष्ट – 2**

दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹353580.60 का अन्तर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है:-

| **विवरण** | | **राशि (₹)** |
|---|---|---|
| | दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति /स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बहियों अनुसार अंतशेष | 1515715.34 |
| घटाव: | दिनांक 31/03/2024 को स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), बी0आर0जी0एफ0, सी0आर0एफ0, आई0डब्लू0डी0पी0, एन0आर0एच0एम0, एस0बी0एम0, 13वां वित्तायोग, आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0, वी0के0वी0एन0वाई0 की असमायोजित राशि (Unreconciled amount). | (-)353580.60 |
| | दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों के बैंक का अन्तशेष | 1162134.74 |

## 4.3 ₹3.54 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना: -

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण

के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पैरा 3.2 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में कुल अंतर ₹**353580.6** की निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरणीयां प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अनियमित व आपतिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता :-

| **क्र. स.** | **निधि/योजना का नाम** | **अंतर की राशि (₹)** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत (स्वःस्त्रोत +सी0आर0एफ0 +एन0आर0एच0एम0+ 13वां वित्तायोग +एस0बी0एम0+वी0के0वी0एन0वाई0) | 243005.6 |
| 2 | बी0आर0जी0एफ0 | 40821 |
| 3 | आई0डब्लू0डी0पी0 | 39738 |
| 4 | आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0 | 30016 |
| | **योग** | **353580.6** |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 10/03/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा अंकेक्षण को तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए अन्तर की राशि को ढूंढ़कर अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वाशन दिया। अत: उक्त भारी राशि के अंतर की राशि की बैंक समाधान विवरणीयां शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

**4.4 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन करने न करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' (स्वः-स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिये स्वतन्त्र रूप से बैंक खाते का संचालन न किये जाने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में पृथक से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस बारे सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 10/03/2025 द्वारा इस अनियमितता बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 1 दिनांक

13/03/2025 द्वारा तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराने का तथा योजनावार पृथक बैंक खाता व रोकड़ बही तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः कृत कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

**5. सावधिक निवेश :-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 10/03/2025 के क्रम संख्या 5 के सन्दर्भ में अंकेक्षण को सचिव, द्वारा पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 के क्रम स. 5 द्वारा पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2022 से 03/2024 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**6. अनुदान**

**6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹29.49 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार, पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार **(परिशिष्ट-1)** अवधि 4/2022 से 3/2024 तक ₹**2949323.00** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

| योजना | वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹) | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹) | कुल |
|---|---|---|---|
| सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत | 2130333.00 | 818990.00 | 2949323 |
| **कुल** | **2130333** | **818990** | **2949323** |

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त सहायतानुदानों के स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी,

जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 10/03/2025 द्वारा प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा भविष्य में प्रस्तुत करने का आश्वाशन दिया गया। अतः शीघ्र कृत कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6.2 अनुदान से ₹52.69 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-1)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2022 से 3/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹**5268996** की अनुदान राशि (स्वः स्रोत सहित) का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

| **योजना** | **वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)** | **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)** | **कुल राशि (₹)** |
|---|---|---|---|
| सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत | 4363739.00 | 905257.00 | 5268996 |
| **कुल** | **4363739.00** | **905257** | **5268996** |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 10/03/2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भविष्य में अंकेक्षण को प्रस्तुत करने को आश्वस्त किया। अत: व्यय की गई उक्त खर्च की राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सत्यापन हेतु शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये ताकि किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए।

**6.3 अनुदान खाते में ₹15.16 लाख राशि शेष:-**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **(परिशिष्ट-1)** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों (स्वः स्रोत सहित) में से दिनांक 31.03.2024 को ₹**1515715.34** की राशि उपयोग हेतु शेष थी । इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

| **योजना** | **दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)** |
|---|---|
| सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत | **1189910.34** |
| बी0आर0जी0एफ0 | **40821.00** |
| सी0आर0एफ0 | **34940.00** |
| आई0डब्लू0डी0पी0 | **39738.00** |
| एन0आर0एच0एम्0 | **20000.00** |
| एस0बी0एम0 | **124100.00** |
| 13वा वित्त आयोग | **5591.00** |
| आर0ए0वाई0/ ए0ए0 वाई0 | **31997.00** |
| वी0के0वी0एन0वाई0 | **28618.00** |
| **कुल** | **1515715.34** |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 10/03/2025 जारी करके उक्त राशि को खर्च न करने बारे अंकेक्षण को अवगत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में नियमानुसार खर्च किया जाये।

**7. पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत-**

**7.1 ₹0.05 लाख का गृह कर वसूली हेतु शेष: -**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना

बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** के अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2022 से 3/2024 तक गृहकर राजस्व राशि ₹**5200** वसूली हेतु शेष थी, जिसकी शीघ्र अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 10/03/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा सूचित किया गया कि गृहकर की राशि को भविष्य में वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

| **वर्ष** | **आरम्भिक शेष (₹)** | **मांग (₹)** | **कुल (₹)** | **व्यय (₹)** | **अंत शेष (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | -27850 | 24300 | -3550 | 15550 | -19100 |
| 2023-24 | -19100 | 24300 | 5200 | 0 | 5200 |

**7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में जमा न करवानाः -**

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या –WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में वर्तमान में नवीनतम शीर्षक 0070-060-108-01 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अवधि 4/2022 से 03/2024 तक के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹400 का विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया गया परन्तु उसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है।

| **क्र. स.** | **वर्ष** | **योजना** | **वाउचर स0 / दिनांक** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | OWN SOURCES | OWN/202324/R/65 Dt. 06/03/2024 | 200 |
| 2 | 2023-24 | OWN SOURCES | OWN/202324/R/66 Dt. 19/03/2024 | 200 |
| | | | **Total** | **400** |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 10/03/2025 जारी करके अनियमितता बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा भविष्य में राशि जो जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे को आश्वस्त किया गया। अतःउक्त राशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

**8 व्यय**

**8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.96 लाख का अनियमित व्ययः-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। उपरोक्त नियम के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप-प्रधान दो वार्ड सदस्य व सचिव को सम्मिलित करके एक उप-समिति का गठन करके समिति द्वारा ₹1000 से अधिक तथा ₹50000 से कम वस्तु/सामग्री के क्रय के लिए निविदाएँ (Quotation) तथा ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु/सामग्री के क्रय हेतु टेंडर (Tenders) आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** अनुसार **₹95993** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है क्योंकि पंचायत द्वारा वर्णित क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित उपयोग नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 11/03/2025 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा निविदायें नहीं मिलने का कारण भविष्य में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने का आश्वाशन दिया गया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा इसका रख-रखाव उचित प्रकार से कार्यालय में किया जाना अपेक्षित है। अत: सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक / स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8.2 बिलों में गणना में त्रुटि के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतानः-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका पर

दर्ज विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु किए गए भुगतानों के बिलों में गणना में त्रुटि कर ₹1104 का अधिक भुगतान किया गया है जोकि अनियमित है।

| बिल स0/ दिनांक | बिल राशि (₹) | अपेक्षित बिल राशि (₹) | वास्तव में भुगतान राशि (₹) | अधिक भुगतान राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (4-3)** |
| 37/ 12-07-2021 | 49500 (45.1 hours @900/hour +GST 18%) | 47896 | 49000 | 1104 |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3, दिनांक 11/03/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमित भुगतान बारे अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अधिक भुगतान ₹1104 की राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर स्व: स्त्रोत खाता स0 55410103363 में दिनांक 11/03/2025 को जमा किया गया है। अत: सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में दावों के भुगतान से पूर्व उनकी गणतिय शुद्धता की जाँच करने के उपरांत भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**9. निर्माण कार्य: -**

**9.1 ₹4.72 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना: -**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम 94, 95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण **परिशिष्ट-5** पर वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये ₹**472305** के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 03, दिनांक 11/03/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को निर्माण कार्यों के निष्पादन के भुगतान से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अविलम्ब अंकेक्षण को प्रस्तुत आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा अंकेक्षण को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण

औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**9.2 आपूर्तिकर्ताओं से ₹0.77 लाख की खरीद सामग्री के ट्रांजिट पास (फार्म डब्ल्यू) या सप्लीमेन्ट्री पास (फार्म-एक्स) प्रस्तुत करने बारे :**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार, ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा | परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास को प्राप्त नहीं किया गया था परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता से **परिशिष्ट-6** अनुसार ₹**77417** की खरीदी गई सामग्री वैधानिकता की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी। इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना स0: 3 दिनांक 11/03/2025 पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: सचिव, ग्राम पंचायत बिलवार आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामग्री तथा उनके ट्रांजिट पास में दर्ज सामग्री की मात्रा से संबंधित अभिलेख का उचित प्रकार से संधारण किया जाये तदोपरांत कृत कार्रवाही से पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामग्री की वैधानिकता सत्यापना संभव हो सकें अन्यथा यह प्रकरण जिला खनन अधिकारी से उठाकर तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9.3 मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में व्यय न करके ₹4.07 लाख का मजदूरी पर कम व सामग्री पर अधिक व्यय बारे: -**

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 7.4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना वांछित है। परन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में मनरेगा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख **(परिशिष्ट-7)** का अवलोकन करने पर पाया

गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करके वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मजदूरी पर ₹4.07 लाख कम तथा सामग्री पर अधिक व्यय किया गया जोकि अनियमित है:-

| क्रम स. | वित्तीय वर्ष | मनरेगा पर कुल व्यय (₹ लाखो में) | मजदूरी पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में) | मजदूरी पर अपेक्षित व्यय *60%* *(₹ लाखो* में) | मजदूरी पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में) | सामग्री पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में) | सामग्री पर अपेक्षित व्यय 40% (₹ लाखो में) | सामग्री पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 60%) | 6 (4-5) | 7 | 8 (3 x 40%) | 9 (7-8) |
| 1 | 2022-23 | 12.75 | 3.77 | 7.65 | (-)3.88 | 8.98 | 5.10 | (+)3.88 |
| 2 | 2023-24 | 12.33 | 7.21 | 7.40 | (-)0.19 | 5.12 | 4.93 | (+)0.19 |
| | **कुल** | **25.08** | **10.98** | **15.05** | **(-)4.07** | **14.1** | **10.03** | **(+)4.07** |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1, दिनांक 11/03/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमतता बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा भविष्य में इस अनियमितता को नहीं दोहराने का आश्वासन दिया गया। अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त जारी परिचालन दिशा-निर्देश का गंभीरता से पालन किया जाये।

## 10. विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत करने बारे :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

| क्र0सं0 | रजिस्टर / अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| **हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002** | | | |
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | खाता बहियां | 7 | 29 (1 से 3) |
| 2 | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 3 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 4 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 5 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 6 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61 (2) |
| 7 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) (ए व बी) |
| 8 | तकनीकी जाँच व तकनीकी, स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर | 31 | 95 (1) |
| **हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997** | | | |
| 1 | स्टॉक सामग्री रजिस्टर | 6 | 34 |
| 2 | विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर | 7 | 34 |
| 3 | अनुदान रजिस्टर | 8 | 34 |
| 4 | अचल सम्पत्ति रजिस्टर | 11 | 34 |
| 5 | कर रजिस्टर | 16 | 34 |

सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 11/03/2025 जारी करके उपरोक्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा भविष्य में अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आश्वाशन दिया जो कि संतोषजनक उत्तर नहीं है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करके अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

**11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 11/03/2025 के क्रम संख्या 2 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या: 1 दिनांक 13/03/2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है तथा भविष्य में सत्यापन करवाकर अवगत करवा दिया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:** - इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13. **निष्कर्ष:** - लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

2841-2845 16 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 107/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 MAY 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट-1

| FINANCIAL POSITION OF GP HARIPUR KHOL, DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR 20222-23 & 2023-24 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 7232720.34 | 5427392.02 | 12660112.36 | 8372090.00 | 4288022.36 |
| 2023-24 | 4288022.36 | 2799995.00 | 7088017.36 | 3275836.00 | 3812181.36 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR OWN SOURCES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 3264862.34 | 2273231.00 | 5538093.34 | 4363739.00 | 1174354.34 |
| 2023-24 | 1174354.34 | 920813.00 | 2095167.34 | 905257.00 | 1189910.34 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR FFC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 1845062.00 | 421295.02 | 2266357.02 | 2191186.00 | 75171.02 |
| 2023-24 | 75171.02 | 4132.00 | 79303.02 | 35864.00 | 43439.02 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR XVFC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 1796991.00 | 1457866.00 | 3254857.00 | 542165.00 | 2712692.00 |
| 2023-24 | 2712692.00 | 642050.00 | 3354742.00 | 1101715.00 | 2253027.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR BRGF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 40821.00 | 0.00 | 40821.00 | 0.00 | 40821.00 |
| 2023-24 | 40821.00 | 0.00 | 40821.00 | 0.00 | 40821.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR CRF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 34940.00 | 0.00 | 34940.00 | 0.00 | 34940.00 |
| 2023-24 | 34940.00 | 0.00 | 34940.00 | 0.00 | 34940.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR IWDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 39738.00 | 0.00 | 39738.00 | 0.00 | 39738.00 |
| 2023-24 | 39738.00 | 0.00 | 39738.00 | 0.00 | 39738.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR NRHM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2023-24 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR SBM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 124100.00 | 0.00 | 124100.00 | 0.00 | 124100.00 |
| 2023-24 | 124100.00 | 0.00 | 124100.00 | 0.00 | 124100.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THFC | | | | | |
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 5591.00 | 0.00 | 5591.00 | 0.00 | 5591.00 |
| 2023-24 | 5591.00 | 0.00 | 5591.00 | 0.00 | 5591.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAY/ AAY | | | | | |
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 31997.00 | 0.00 | 31997.00 | 0.00 | 31997.00 |
| 2023-24 | 31997.00 | 0.00 | 31997.00 | 0.00 | 31997.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VKVNY | | | | | |
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 28618.00 | 0.00 | 28618.00 | 0.00 | 28618.00 |
| 2023-24 | 28618.00 | 0.00 | 28618.00 | 0.00 | 28618.00 |

| GP HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MNREGA | | | | | |
| Year | Opening (₹) | Receipt (₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6(4-5) |
| 2022-23 | 0.00 | 1275000.00 | 1275000.00 | 1275000.00 | 0.00 |
| 2023-24 | 0.00 | 1233000.00 | 1233000.00 | 1233000.00 | 0.00 |

परिशिष्ट - 1

## GRAM PANCHAYAT HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

### OWN SOURCES 2022-23

| Month | Opening (₹) | Own Sources Income (₹) | Receipts-Own Sources | Bank Interest (₹) | Total Receipts(₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 (2+6) | 8 | 9 (7-8) |
| Apr-22 | 3264862.34 | 0.00 | 27300.00 | 12220.00 | **39520.00** | 3304382.34 | 0.00 | 3304382.34 |
| May-22 | 3304382.34 | 0.00 | 41982.00 | 0.00 | **41982.00** | 3346364.34 | 333222.00 | 3013142.34 |
| Jun-22 | 3013142.34 | 0.00 | 409900.00 | 0.00 | **409900.00** | 3423042.34 | 239668.00 | 3183374.34 |
| Jul-22 | 3183374.34 | 4600.00 | 109600.00 | 0.00 | **114200.00** | 3297574.34 | 98904.00 | 3198670.34 |
| Aug-22 | 3198670.34 | 7000.00 | 84425.00 | 0.00 | **91425.00** | 3290095.34 | 174082.00 | 3116013.34 |
| Sep-22 | 3116013.34 | 400.00 | 57800.00 | 109828.00 | **168028.00** | 3284041.34 | 77047.00 | 3206994.34 |
| Oct-22 | 3206994.34 | 1100.00 | 335450.00 | 0.00 | **336550.00** | 3543544.34 | 312173.00 | 3231371.34 |
| Nov-22 | 3231371.34 | 0.00 | 71076.00 | 0.00 | **71076.00** | 3302447.34 | 107998.00 | 3194449.34 |
| Dec-22 | 3194449.34 | 650.00 | 157400.00 | 0.00 | **158050.00** | 3352499.34 | 97573.00 | 3254926.34 |
| Jan-23 | 3254926.34 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | **2700.00** | 3257626.34 | 264532.00 | 2993094.34 |
| Feb-23 | 2993094.34 | 1100.00 | 27400.00 | 0.00 | **28500.00** | 3021594.34 | 113630.00 | 2907964.34 |
| Mar-23 | 2907964.34 | 3300.00 | 808000.00 | 0.00 | **811300.00** | 3719264.34 | 2544910.00 | 1174354.34 |
| **Total** | **3264862.34** | **20850.00** | **2130333.00** | **122048.00** | **2273231.00** | **5538093.34** | **4363739.00** | **1174354.34** |

Panchayat Secretary
G.P. Haripur Khol
Block Dev. Paonta Sahib

18

B - प०प्र०२१०८ - 1

## GRAM PANCHAYAT HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

### OWN SOURCES 2023-24

| Month | Opening (₹) | Own Sources Income (₹) | Receipts-Own Sources | Bank Interest (₹) | Total Receipts(₹) | Total (₹) | Payment (₹) | Closing (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 (2+6) | 8 | 9 (7-8) |
| Apr-23 | 1174354.34 | 0.00 | 38800.00 | 15823.00 | **54623.00** | 1228977.34 | 14500.00 | 1214477.34 |
| May-23 | 1214477.34 | 0.00 | 42064.00 | 0.00 | **42064.00** | 1256541.34 | 0.00 | 1256541.34 |
| Jun-23 | 1256541.34 | 1800.00 | 35290.00 | 8482.00 | **45572.00** | 1302113.34 | 140450.00 | 1161663.34 |
| Jul-23 | 1161663.34 | 0.00 | 49564.00 | 0.00 | **49564.00** | 1211227.34 | 0.00 | 1211227.34 |
| Aug-23 | 1211227.34 | 1200.00 | 40144.00 | 0.00 | **41344.00** | 1252571.34 | 56400.00 | 1196171.34 |
| Sep-23 | 1196171.34 | 2400.00 | 76844.00 | 0.00 | **79244.00** | 1275415.34 | 81127.00 | 1194288.34 |
| Oct-23 | 1194288.34 | 0.00 | 36420.00 | 8420.00 | **44840.00** | 1239128.34 | 60300.00 | 1178828.34 |
| Nov-23 | 1178828.34 | 800.00 | 210916.00 | 0.00 | **211716.00** | 1390544.34 | 102400.00 | 1288144.34 |
| Dec-23 | 1288144.34 | 4000.00 | 36420.00 | 8895.00 | **49315.00** | 1337459.34 | 108592.00 | 1228867.34 |
| Jan-24 | 1228867.34 | 400.00 | 36844.00 | 0.00 | **37244.00** | 1266111.34 | 48006.00 | 1218105.34 |
| Feb-24 | 1218105.34 | 1200.00 | 20684.00 | 0.00 | **21884.00** | 1239989.34 | 21824.00 | 1218165.34 |
| Mar-24 | 1218165.34 | 39846.00 | 195000.00 | 8557.00 | **243403.00** | 1461568.34 | 271658.00 | 1189910.34 |
| **Total** | **1174354.34** | **51646.00** | **818990.00** | **50177.00** | **920813.00** | **2095167.34** | **905257.00** | **1189910.34** |

Panchayat Secretary
G.P. Haripur Khol
Block Dev. Paonta Sahib

परिशिष्ट-2

ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पाऊँटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.) — परिशिष्ट -

| क्र. स. | योजना | बैंक | खाता स. | दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही अनुसार अंतशेष | दिनांक 31.3.2024 को बैंक अनुसार अंतशेष | दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही व बैंक अंतशेष में अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5-6) |
| 1 | सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक (स्व:स्त्रोत +सी0आर0एफ0 +एन0आर0एच0एम्0+ 13वां वित्तायोग +एस0बी0एम0+वी0के0 वी0एन0वाई0 | 56210100034 | (स्व:स्त्रोत ₹1189910.34+सी0आर0 एफ0 ₹34940 +एन0आर0एच0एम्0 ₹20000+13वां वित्तायोग ₹5591+एस0बी0एम0 ₹124100+वी0के0वी0एन 0वाई0 ₹28618 | 835966.74 | 243005.60 |
| | | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410103363 | | 324187.00 | |
| | | **कुल** | | **1403159.34** | **1160153.74** | **243005.60** |
| 2 | 14वा वित्त आयोग | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410102437 | 43439.02 | 4499.02 | 37634.00 |
| | | पी0एन0बी0 | 9159000100017159 | | 1306.00 | |
| | | **कुल** | | **43439.02** | **5805.02** | **37634.00** |
| 3 | 15वा वित्त आयोग | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410103354 | 2253027.00 | 2083097.00 | 169930.00 |
| 4 | बी0आर0जी0एफ0 | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410100423 | 40821.00 | 0.00 | 40821.00 |
| 5 | आई0डब्लू0डी0पी0 | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410101243 | 39738.00 | 0.00 | 39738.00 |
| 6 | आर0ए0वाई0/ ए0ए0वाई0 | हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक | 55410100761 | 31997.00 | 1981.00 | 30016.00 |
| | | **कुल योग** | | **3812181.36** | **3251036.76** | **561144.60** |

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

परिशिष्ट-3

**ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, विकास खण्ड पाऊँटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.) के अवधि 4/2022 से 3/2024 तक के लेखाओं दिनांक 31.03.2024 को गृहकर वसूली संबंधी सूचना-**

| वर्ष | परिवार स0 | | दर/परिवार | | आरम्भिक शेष (₹) | मांग (₹) | कुल (₹) | प्राप्ति (₹) | अंत शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बी0पी0एल0 | ए0पी0एल0 | बी0पी0एल0 | ए0पी0एल0 | | | | | |
| 2022-23 | 148 | 412 | 25 | 50 | -27850 | 24300 | -3550 | 15550 | -19100 |
| 2023-24 | 148 | 412 | 25 | 50 | -19100 | 24300 | 5200 | 0 | 5200 |

पंचायत सचिव
ग्रा0 पं0 हरिपुर खोल
वि0 ख0 पांवटा साहिब

21

—20— परिशिष्ट-4

| क्र.स. | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | वाउचर स. /दिनांक | बिल स./दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामाग्री | मात्रा (कि.ग्रा. /क्युबि कमी./ स.) | दर (₹) | भुगतान राशि(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निविदा संबंधी औपचारिकताओं बारे । | | | | | | | परिशिष्ट | | |
| 1 | 2022-23 | OWN SOURCES | C/o Commuinity Bhawan Mehata wala | 133/17-03-2023 | 710/19-02-2023 | Sanjay Brothers | MS steel | 503 | 60 +GST 18% | 30000 |
| 2 | 2022-23 | OWN SOURCES | Purchase of Dustbin Gp Haripur Khol | 142/31-03-2023 | 199/28-03-2023 | SHREE KRISHNA TRADERS | Dustbin | 2 | 17839+GST 18% | 42100 |
| 3 | 2022-23 | XIVFC | TEEN SHED PRANGAN PANCHAYAT GHAR | 34/03-03-2023 | 11-05-2022 | GURU KRIPA WELDING WORKS | TEEN SHED MATERIAL | 1126 | 16 | 12500 |
| 4 | 2023-24 | MNREGA | C/o Cattel Shed in land of Vidya Devi w/o Gangveer Singh | 28-06-2023 | 798/24-03-2023 | Sanjay Brothers | Jisti Sheet | 5 | 1950+ GST 18% | 11392.9 |
| | | | कुल राशि | | | | | | | 95993 |

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

22

-21-

परिशिष्ट -5

| प्राक्कलन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत करने बारे । | | | | | | | | परिशिष्ट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | वाउचर स./दिनांक | बिल स./दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामाग्री | मात्रा (कि.ग्रा./क्युबिकमी./स.) | दर (₹) | भुगतान राशि(₹) |
| 1 | 2022-23 | OWN SOURCES | C/o Commuinity Bhawan Mehata wala | 133/17-03-2023 | 710/19-02-2023 | Sanjay Brothers | MS steel | 503 | 60 +18% | 30000 |
| 2 | 2022-23 | OWN | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03- | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Sand -Local | 6 | 665 +GST 5% | 9885 |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03-2023 | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Sand | 4 | 1000 + GST 5% | |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03-2023 | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Aggrigate | 2 | 712 +GST 5% | |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 140/31-03-2023 | 5/28-01-2022 | Sachin Kumar | Cement Carriage | 2 | 2500 | 3456 |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 140/31-03-2023 | 5/28-01-2022 | Sachin Kumar | Bricks carriage | 1 | 1800 | |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 140/31-03-2023 | 5/28-01-2022 | Sachin Kumar | Water Tanker | 4 | 500 | |
| 3 | 2023-24 | OWN SOURCES | C/o Ambulance road with puliya from main road to Ramkishan ,Budh Ram etc Jamnighat | 6/7-06-2023 | 74565/ 01/06/2023 | HPSCSC Ltd. | Cement | 100 | 398.5 | 39850 |
| 4 | 2023-24 | MNREGA | C/o Road from Mehreala to Nimbuwala ward Kodewala | 21-06-2023 | 73307/02-03-2023 | HPSCSC Ltd. | Cement | 400 | 405 | 162000 |
| 5 | 2023-24 | MNREGA | C/o Puliya and Rasta frommain road to Chillewala haripur Khol | 20-06-2023 | 73308/02-03-2023 | HPSCSC Ltd. | Cement | 185 | 405 | 74925 |
| 6 | 2023-24 | MNREGA | C/o Road from road to Village Haripur Basti ward -05 (Blocking Tiles) | 20-06-2923 | 85426/09-06-2022 | HPSCSC Ltd. | Cement | 96 | 342 | 30531.84 |
| 7 | 2023-24 | MNREGA | C/o Ambulance road to h/o Dalganjan Singh,Aalam Singh,Hoshiyar Singh,Dipty Singh Charnaala w.no-7 | 20-06-2023 | 73709/02-03-2023 | HPSCSC Ltd. | Cement | 303 | 405 | 121657.4 |
| | | | कुल राशि | | | | | | | 472305 |

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

23

-22- परिशिष्ट-6

| | एक्स एवं डब्लू फॉर्म प्रस्तुत करने बारे । | | | | | | | परिशिष्ट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | वाउचर स. /दिनांक | बिल स./दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामग्री | मात्रा (कि.ग्रा. /क्युबि कमी./ स.) | दर (₹) | भुगतान राशि(₹) |
| 1 | 2022-23 | OWN | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03- | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Sand | 6 | 665 +GST 5% | 9885 |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03-2023 | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Sand | 4 | 1000 + GST 5% | |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | Upgradation of Panchayat Ghar | 139/31-03-2023 | 02/03-12-2021 | Sachin Kumar | Aggrigate | 2 | 712 +GST 5% | |
| 2 | 2022-23 | OWN | C/o Rasta from river to GHS Lohgarh | 147/31-03- | 1/08/10/2021 | Sachin Kumar | Stone | 6 | 800 + GST 5% | 7875 |
| | 2022-23 | OWN SOURCES | C/o Rasta from river to GHS Lohgarh | 147/31-03-2023 | 1/08/10/2021 | Sachin Kumar | Sand | 3 | 900 + GST 5% | |
| 3 | 2023-24 | MNREGA | C/o Pacca Rasta from River to h/o Nayaz Mohammad Jeebu Jhan Munshi Khan GP,Haripur Khol | 20-06-2023 | 108/17/09/2022 | Yogesh Kumar Contractor | Bajri | 35 | 400+ GST 5% | 59658 |
| | 2023-24 | MNREGA | C/o Pacca Rasta from River to h/o Nayaz Mohammad Jeebu Jhan Munshi Khan GP,Haripur Khol | 20-06-2023 | 108/17/09/2022 | Yogesh Kumar Contractor | Bolder | 47.5 | 700+ GST 5% | |
| | 2023-24 | MNREGA | C/o Pacca Rasta from River io h/o Nayaz Mohammad Jeebu Jhan Munshi Khan GP,Haripur Khol | 20-06-2023 | 108/17/09/2022 | Yogesh Kumar Contractor | Sand | 24 | 350+GST 5% | |
| | | | कुल राशि | | | | | | | 77417 |

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

24

**GRAM PANCHAYAT HARIPUR KHOL,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)**

**Scheme: MNREGA**

| Fin. Year/ | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Labour (₹) | Material (₹) | Total (₹) | Labour (₹) | Material (₹) | Total (₹) |
| April | 0 | 0 | **0** | 1000 | 0 | **1000** |
| May | 42000 | 6000 | **48000** | 45000 | 0 | **45000** |
| June | 3000 | 408000 | **411000** | 207000 | 476000 | **683000** |
| July | 0 | 102000 | **102000** | 132000 | 25000 | **157000** |
| August | 29000 | 0 | **29000** | 2000 | 0 | **2000** |
| September | 39000 | 0 | **39000** | 0 | 0 | **0** |
| October | 47000 | 0 | **47000** | 82000 | 0 | **82000** |
| November | 43000 | 0 | **43000** | 12000 | 11000 | **23000** |
| December | 28000 | 0 | **28000** | 169000 | 0 | **169000** |
| January | 25000 | 0 | **25000** | 23000 | 0 | **23000** |
| February | 35000 | 382000 | **417000** | 18000 | 0 | **18000** |
| March | 86000 | 0 | **86000** | 30000 | 0 | **30000** |
| **Total** | **377000** | **898000** | **1275000** | **721000** | **512000** | **1233000** |

Gram Rojgar Sewak
G.P. Haripur Khol

Panchayat Secretary
G.P. Haripur Khol
Block Dev. Paonta Sahib